

विचार बिन्दु

आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शक्ति का आश्रय लेता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भौतिक शरीर इस आत्मा को धारण करने के लिए विवश होता है। -गेटे

अतिथि तुम कब जाओगे!

प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को एक पक्षीय (इक तरफा) वापिस लेने की घोषणा की है और कहा है एमएसपी यथावत रहेगी। एक पक्ष का कहना है कि यह मोदी का सही व साहसिक कदम है। उनका यह भी कथन है कि विवादों को निपटाने का यह भी एक रास्ता था। कुछ का कथन है कि वे विलम्ब से आये, किन्तु दुरुस्त आये। अन्य का कहना है कि पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों से ठीक पहले कृषि कानूनों को वापिस लेने की घोषणा चुनावों की नाटकबाजी है। यूपी आदि राज्यों में चुनावों की हार को देखते हुये फबराकर मोदी ने यह कदम उठाया है। कई लोगों ने यह आरोप लगाया है कि घटना सरकार के हृदय परिवर्तन की नहीं है अपितु राजनीतिक फायदे-नुकसान को देखकर लिया गया निर्णय है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा माफी मांगने मात्र से किसी का भला नहीं होगा अपितु उनका भला तो जब होगा तब वे एमएसपी पर कानून बनायें और उनकी अन्य मांगों को भी पूरा करें तथा स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। कृषि विशेषज्ञ देविन्द्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि एमएसपी (Minimum Support Price) पर कानून बनाने से सरकार को नुकसान नहीं होगा अपितु किसानों को उनकी कीमत की गारंटी मिलेगी। एक अन्य बात भी उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि एमएसपी पर पूरा माल सरकार को ही खरीदना पड़ेगा यह कहना उचित नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई भी खरीददार एमएसपी की दर से कम में अनाज को खरीद नहीं सकेगा। भारत सरकार के जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार एमएसपी रेट पर अनाज खरीद रही है। अभी तक सरकार 260 लाख टन धान व 433 लाख टन गेहूँ खरीद चुकी है। वरिष्ठ लेखक डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा है "75 साल बाद भी एमएसपी पर खरीद कुछ फसलों तक की सीमित है। वहीं एमएसपी को युक्ति संगत बनाना आवश्यक है।" अनिल धनबाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य हैं उनकी राय है कि एमएसपी के लिये कानून बना तो उससे किसानों को नुकसान होगा।

मोदी की घोषणा के बाद आन्दोलनकारी किसान फिलहाल आन्दोलन समाप्त कर हटने को तैयार नहीं हैं। लखनऊ में हुई किसान महापंचायत ने अपने निर्णय में कहा आन्दोलन का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम से चलता रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी स्वीकार नहीं की जावे वे नहीं हटेंगे। उनकी प्रमुख 6 मांगें इस प्रकार हैं:-

(1) खेती की सम्पूर्ण लागत पर एमएसपी की कीमत सभी सभी कृषि उपज पर लागू हो (यहां यह लिखना समीचीन होगा कि पंजाब में केन्द्रीय सरकार के कानून को संशोधित कर केवल धान व गेहूँ पर एमएसपी की बात की है, और अपना कानून बनाया है। पंजाब विधान सभा द्वारा पारित कानून की तर्ज पर ही राजस्थान राज्य ने अपना कृषि कानून बनाया है राज्य ने सात अनाजों पर एमएसपी लागू की है एक कानून का नाम "कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2020 उसके उद्देश्य व कारणों में जो कथन है उसके अनुसार कृषि कानून सम्बन्धित सूची की अनुसूची के अन्तर्गत है उसमें केन्द्र के कानून में सुधार के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और इन्हें समवर्ती सूची का विषय समझा है और राज्यों को और केन्द्र दोनों को अनुच्छेद 254(2) के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है।

(2) विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापिस लिया जावे।
(3) कानून में किसानों को सजा का प्रावधान समाप्त हो (पाराली के बाबत)
(4) आन्दोलन के दौरान किसानों पर हुये केस विद्दो हो।
(5) आन्दोलन में जिन 700 किसानों ने शहादत दी उन किसानों के परिवार को मुआवजा व पुर्नवास की व्यवस्था। शहीद किसानों की स्मृति में उनके स्मारक बनाने के हेतु भूमि दी जावे।

(6) लखीपुर खीरी हत्याकाण्ड के सूत्रधार केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जावे।

यह सत्य है किसान को अपनी उपज की श्रमिक को उसके श्रम की वास्तविक कीमत मिलनी चाहिये। यह भी सत्य है कि गरिमामय जीवन जीने के लिये जितनी आवश्यकता है उतनी मजदूरी लाभ व वेतन प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करना चाहिये। यह भी सत्य है कि देश जिस तरह विकासशील देश के स्थान पर विकसित देश बनने जा रहा है, उसके अनुसार न्यूनतम वेज के स्थान पर Fair Wage. हम तो कम से कम अवश्य मिले। यह भी सत्य है कि अपनी जायज मांग के हेतु अहिंसक आन्दोलन करना भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ निर्णयों में स्पष्ट कर दिया है कि आन्दोलन करना तो अधिकार कर किन्तु आन्दोलन के हेतु सड़कों को रोकना उचित नहीं है तथा अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के हेतु आप अन्य के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते।

संविधान के अनुसार केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के कानून बनाने का अधिकार संसद को है और उसे निरस्त (Repeal) करने का अधिकार भी संसद को है और ये दोनों कार्य संसदीय प्रणाली के अनुसार होने चाहिये न कि दबाव और आन्दोलन के भय से। यही कारण है कि तीनों कानूनों को वापिस लेने की मोदी की घोषणा का अर्थ था सरकार संसद में इन कानूनों का (Repeal) करने हेतु बिल लेकर आयेगी और फिर कानून वापिस होगा। साधारण रूप से संसद द्वारा कानून को वापिस (Repeal) उस समय लिया जाता है जब उसका अभिप्राय समाप्त हो जावे, या वह किसी महत्व का नहीं रहे, या वह अवैध हो। किन्तु यहां तो तीनों कानूनों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है और याचिका वहां जेकर (Pending) है। उन केसेज में प्रार्थना की कि इन्हें निरस्त किया जावे, क्योंकि केन्द्र ने कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल किया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस कानून का विषय राज्य सूची का विषय है जबकि पंजाब व राजस्थान ने जो अपने अपने कृषि कानून बनाये हैं, उनमें बिल के उद्देश्यों में स्पष्ट तौर पर यह माना है कि ये केन्द्र के कानूनों में राज्य द्वारा संशोधन कर बनाये हैं। राजस्थान ने राज्य के हेतु कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण राजस्थान संशोधन अधिनियम 2020 बनाया है उसके उद्देश्यों में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि उसने केन्द्र के कानून में संशोधन किया है और अनुच्छेद 254(2) के अनुसार राष्ट्रपति के विचार हेतु आर्क्षित रखा गया है। वस्तुतः इन्हें गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। राजस्थान व पंजाब की स्थिति समान है।

संविधान के अनुसार यदि केन्द्र सरकार पहले कानून बनाती है तो राज्य सरकार कानून में संशोधन कर बना सकती है किन्तु वह कानून उस समय वैध होगा जब उस पर प्रेसीडेन्ट महोदय की असेन्ट (स्वीकृति) ली गई हो। कृषि कानून को पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाये हैं उन्हें भी प्रेसीडेन्ट महोदय को भेजा हुआ है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 254(2) में किया गया है। यदि इन पर अनुमति प्राप्त होगी तो राज्य के कृषि कानून स्वतः लागू हो जाते और केन्द्र का कानून स्वतः रिपील हो जाता।

हमारे सामने कृषि कानूनों को लेकर एक अन्य विषय भी है कि केन्द्र के तीनों कृषि कानून संसद द्वारा पारित किये गये हैं, फिर क्या संसद के कानून को सड़कों पर आन्दोलन कर समाप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक मार्गों को रोकने आन्दोलन करो पब्लिक को परेशान करो, सरकार को झुकाओ और सरकार को कानून की विद्दो करने पर विवश कर दो। किसानों ने आन्दोलन किया और मोदी ने बाध्य समय की नजाकत को देखते हुये जनहित में इसे वापिस लेने की घोषणा कर दी वह भी 12 माह से अधिक समय में कुछ लोगों ने इसे उचित माना और अन्य ने इसका राजनैतिक करण कर दिया। तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने की मोदी की घोषणा को केबिनेट की स्वीकृति मिल गई है और बिल भी संसद में पेश होगा किन्तु इसका विपरीत असर भी हो सकता है। यह उदाहरण बन सकता है। ओबेसी ने एक केन्द्रीय कानून को रिपील करने हेतु आन्दोलन करने की घोषणा करदी है और इसी प्रकार अन्य नेता भी कानून की वापसी की मांग कर सकते हैं। मन्दि-मटों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कराने के हेतु साधु-सन्तों ने कानून बनाने की मांग की और चेतावनी दी है कि किसान जब रास्ता रोककर ऐसा कर सकते हैं तो फिर साधु-सन्त क्यों नहीं?

यहां एक और भी प्रश्न उठता है हम कृषि कानूनों की वापसी से क्या सबक लेना चाहते हैं? तीनों कृषि कानूनों के पारित होने की प्रक्रिया को देखें तो स्पष्ट होगा कि ये कानून वस्तुतः बिना विचार व विमर्श के तथा राज्य सभा संसद में बिना बहस के बाद पारित हुये। वस्तुतः ऐसे कानूनों को जो जनता की जिन्दगी पर प्रभाव डाल सकते हैं अध्यादेश नहीं लाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पूर्व यह नसीहत दी थी कि जब बिल बिना बहस के तथा अस्पष्ट ड्राफ्टिंग के पास होते हैं तो उनके सही Interpretation पर दिक्कत आती है। आन्दोलनकारी किसानों ने घोषणा की है कि वे आन्दोलन को बंद नहीं करेंगे बातचीत सड़कों पर ही होगी। बिना सभी मांगों को माने वे नहीं हटेंगे। जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा वे आन्दोलन चालू रखेंगे। जनता सब कुछ देख रही है। सरकार भी अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट नहीं कर रही है।

आन्दोलनकारी किसान हमारे अतिथि हैं हम यह कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं "अतिथि तुम कब जाओगे"।

-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

संविधान दिवस पर विशेष

संस्कृति से जुड़ा हमारा संविधान

संविधान विधान भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति है। इसलिए कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परम्पराएं हैं- संविधान उसे एक तरह से व्याख्यायित करता है। मैं यह मानता हूँ कि राष्ट्र कोई भू-भाग भर नहीं होता है देश को विचार संज्ञा में देखने का अर्थ ही है, ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री-पुरुष में, जाति और धर्म के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। जहां अनुभव और ज्ञान सहभागी है। सारे विश्व को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश हमारे राष्ट्र ने दिया है। हमारा संविधान इस उदात्त विचार का एक तरह से लिखित रूप है। संविधान का मूल, हमारी वह महान परम्परा है, जिसमें कहा गया है- 'लोकाः समस्ता सुविनो भवतु'।

लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परम्परा है। संविधान को इसीलिए मैं भारतीय संस्कृति से अभिहित करता हूँ। भारत असल में राज्यों का संघ है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष यही थी कि कैसे कम समय में इस विशाल देश के

संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान निर्माण के लिए बनी सभा के अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक निरंतर परिश्रम के बाद परिष्कृत होकर देश का संविधान भारत की जनता के सामने आया। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की नियुक्ति हुई थी। दुनिया के सभी संविधानों को बारीकी से परखने के बाद हमारे संविधान को देश की विविधता की हमारी सामाजिक संस्कृति और समाज को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार कर लागू किया गया।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के मूल प्राूप में भारतीय संस्कृति का कलात्मक चित्रण है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के आग्रह पर शान्तिनिकेतन के कलागुरु नंदलाल बोस ने संविधान में कलात्मक चित्र उकेरे। राजस्थान के कलाकार श्री कृपाल सिंह शेखावत ने भी संविधान प्राूप के कलात्मक स्वरूप में योगदान किया। महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, वैदिक काल से 20वीं सदी तक की सनातन भारतीय परम्परा, भारतीय



सभ्यता के आधारभूत ढांचे की समझ के साथ रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति से महान परम्पराओं का संविधान के प्राूप में विशेष चित्रण किया गया है। मैंने संविधान का जितनी भी बार अध्ययन किया, यह पाया है कि देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का यह संचित प्रतिबिंब है। मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का एक तरह से हमारा संविधान वैश्विक दस्तावेज है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की यह बात मुझे सदा याद आती है कि कर्तव्यों के हिमालय से ही अधिकारों की गंगा बहती है। संविधान हमें अधिकारों और

कर्तव्यों के संतुलन की सोख देता है। संविधान की प्रस्तावना में इसकी शक्ति सीधे जनता में निहित की गयी है। संविधान उद्देशिका के 'हम भारत के लोग' शब्दों से लोकतंत्र का आदर्श स्वतः स्पष्ट होता है। मैं यह मानता हूँ कि 'हम भारत के लोग' केवल वाक्य भर नहीं है। यह हमारा महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है।

मैंने राजस्थान में राज्यपाल बनने के बाद अपनी सबसे पहली प्रार्थमिकता विश्वविद्यालयों में संविधान पाठों के निर्माण की रखी। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि देश की जो नई पीढ़ी है, युवा-जनमानस है-उसमें संविधान के प्रति आस्था और विश्वास जागृत हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ बनाए जाने की मेरी मंशा पूरी हो रही है। मैं चाहता हूँ, भारत के प्रत्येक नागरिक में यह आस्था बनी रहे।

संविधान और शासन की मूलकार्य प्रणाली को लोकतांत्रिक स्वरूप देते हुए हमने अपने देश को सच्चे अर्थों में गणतंत्र या रिपब्लिक घोषित किया है। गणतंत्र का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था

से है जिसका संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है इसलिए राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च नायक हैं।

26 जनवरी 1950 से शुरू हुई भारतीय गणतंत्र की यात्रा में भारत ने संसार में सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। संविधान में इसीलिए व्यावहारिक मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गये हैं।

भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। समय के जो परिवर्तन होते हैं, उन सभी को स्वीकार करते हुए निरंतर इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा पर बल है। संविधान इसी की हमें निरंतर प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान समता आधारित ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते उच्च आदर्शों का जीवन जीने पर ही जोर दिया गया है। संविधान दिवस पर आईए, हम सभी महान संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए लोककल्याण और लोकआराधन के कार्यों के साथ राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सहभागी बनें।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान

संविधान दिवस पर विशेष

शासन में सर्वाधिक प्रभाव है, संविधान के अधिनियम 1935 के 250 अनुच्छेदों का

ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में भारत के संबंध में अपनी नई नीति घोषित की। भारतीय संविधान सभा गठन के लिए एक तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं संविधान सभा प्राूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर चुने गए।

भारतीय संविधान सभा ने कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 166 दिन बैठकों कीं। इन बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं।

26 नवम्बर 1949 को यह संविधान पारित हुआ। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान



का मूल आधार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के गणतंत्रिक देशों का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।

भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप को व्यवस्था की गई है। जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं जिन्हें राज्यों की परिषद

राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है।

भारतीय संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमन्त्री हैं। राष्ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मन्त्रिपरिषद में निहित हैं जिसके प्रमुख प्रधानमन्त्री हैं। मन्त्रि परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद हैं

राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमन्त्री हैं। राष्ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मन्त्रिपरिषद में निहित हैं जिसके प्रमुख प्रधानमन्त्री हैं। मन्त्रि परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उनमें निहित हैं। मन्त्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमन्त्री हैं। वे राज्यपालों को उनके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देते हैं। राज्यों के मन्त्रिपरिषद राज्यों की विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संयोज्य क्षेत्र कहा जाता है। अम्बेडकरवादी विचारधारा और बौद्धों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस पर संविधान के महत्व और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। पन्नालाल मेघवाल, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार

तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है।

प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उनमें निहित हैं। मन्त्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमन्त्री हैं। वे राज्यपालों को उनके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देते हैं। राज्यों के मन्त्रिपरिषद राज्यों की विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संयोज्य क्षेत्र कहा जाता है। अम्बेडकरवादी विचारधारा और बौद्धों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस पर संविधान के महत्व और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। पन्नालाल मेघवाल, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार

राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमन्त्री हैं। राष्ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मन्त्रिपरिषद में निहित हैं जिसके प्रमुख प्रधानमन्त्री हैं। मन्त्रि परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उनमें निहित हैं। मन्त्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमन्त्री हैं। वे राज्यपालों को उनके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देते हैं। राज्यों के मन्त्रिपरिषद राज्यों की विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संयोज्य क्षेत्र कहा जाता है। अम्बेडकरवादी विचारधारा और बौद्धों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस पर संविधान के महत्व और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। पन्नालाल मेघवाल, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार

पन्नालाल मेघवाल, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार



बेटी को घोड़ी पर बैठाकर दिया समानता का संदेश

पावटा, (निर्सं) निकटवर्ती ग्राम पंचायत पाथेरी में बेटी पिंकी के शादी के अवसर पर बातन-बनवारी में घोड़ी पर बैठाकर समानता का संदेश दिया। भाई विकास, राहुल तथा रजकेश मीणा ने बताया कि पिंकी वर्तमान में बीएससी व एमएससी फाइनल कर चुकी है। हमारे परिवार में कभी भी लड़का-लड़की में भेदभाव नहीं किया गया। हमारी बहन के लिए भी बेटों की तरह शिक्षा-दिक्षा से लेकर शादी तक समानता का दर्जा रखा है। पिंकी के पिता संतकुमार मीणा ने बताया कि घोड़ी से बिंदीरी निकालने का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता का दर्जा देना है।

मुंबई में आतंकी हमले की कहानी चश्मदीद कमांडो राव हिम्मतसिंह की जुबानी

पिण्डवाड़ा, (निर्सं)। मुंबई में मार्कोस कमांडो टीम का हिस्सा रहे हिम्मतसिंह राव मूलतः सिराही जिले के पिण्डवाड़ा उपखंड क्षेत्र के बसंतगढ़ के रहने वाले हैं। कमांडो राव हिम्मतसिंह 18 साल के थे। तब 1999 में बतौर इंजीनियरिंग मैकेनिक भारतीय नौवीं में शामिल हुए। कम समय में ही 2004 में वे सबसे जांबाज माने जाने वाले मार्कोस कमांडो के लिए क्वालिफाइड हुए व मार्कोस बने। काहीं प्रकार के कठिन प्रशिक्षणों के साथ स्नापेर, माउंटनिंगरिंग बैसिक व एडवॉस की ट्रेनिंग भी ली। वर्ष 2014 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद दो साल उदयपुर में रहकर आरएएस की तैयारी की। वे चितौड़ जिले के कपासन में आबकारी

निरीक्षक के पद पर भी रह चुके हैं। दोबारा आरएएस की परीक्षा देकर तहसीलदार सेवा के लिए चयनित हुए। राव ने 26 नवम्बर 11 की 14 वीं बरसी पर अपने अनुभव साझा किए। राव ने बताया कि 26 नवंबर 2008 रात करीब 9.30 बजे थे। मार्कोस कमांडो टीम के रूप में हमारी पोस्टिंग नवी मुंबई के पास आइलैंड में थी। अचानक टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। मुंबई में फिर गैंगवार। कई लोगों के मरने की खबर। कुछ देर बाद पता चला कि यह गैंगवार नहीं, आतंकी हमला है। गेट वे आफ इंडिया के पास लियो पार्क के, होटल ताज, होटल ट्राइडेन्ट, व नरीमन हाउस इन जगहों पर आतंकीयों ने अंधाधुंध फायरिंग के साथ

कुछ जगहों पर लोगों को बंदी बना लिया। हम वह खबर सुनकर ही अलर्ट हो गए क्योंकि ऐसे मामलों में अकसर मार्कोस को एप्रेंच की जाती है।

10 से 15 मिनट में कॉल आ भी गई। मैं तीसरी टीम का सदस्य था। जहां हमले हुए, वह जगह दूर थी। हमारी टीम समुद्री रास्ते से पहुंचती है। इसके बाद अलग-अलग जगह बंट गई। मार्कोस टीम होटल ताज व होटल ट्राइडेन्ट में चुसी। होटल ताज में टीम की दो बार आतंकीयों से सीधी मुठभेड़ होती है। चूंकि वहां वीआईपी गेस्ट सहित कई लोग फंसे होते हैं, इसलिए हमारे लिए सीधी फायरिंग करना आसान नहीं था। हमारी प्रायोरिटी आतंकीयों को और डेमेज करने से रोकना और सभी बंदियों

को सही सलामत रिहा करवाना था। हम इसमें कामयाब रहे। रात 11.30 बजे से सुबह तक चले रेस्क्यू में हमने 175 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। होटल ताज में आतंकीयों के ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, हथियार और कुछ वस्तुएं बरामद कीं। हमारे एक कमांडो प्रवीण गम्भीर रूप से चोटिल हुए।

26 नवम्बर 11 का यह रेस्क्यू जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व यादगार मिशन रहा, लेकिन ऐसे भीषण समय में खुद को बचाने के लिए क्या सोच रखा था? इस सवाल पर हिम्मतसिंह कहते हैं कि यह बात तो जहन में आती ही नहीं है। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ मिशन होता है। मार्कोस की तैयारी व हमारा साजो सामान इतना आला दर्जे का होता

है कि जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में कॉल मिलते ही निकल कार्यवाही करने में सक्षम होते हैं।

हिम्मतसिंह राव ने बताया कि आतंकीयों से मुठभेड़ के समय वे गेट वे आफ इंडिया पर अपनी स्टाईफ के साथ तैनात थे। ताकि कहीं से कोई आतंकी किसी भी रास्ते से भागने के मंसूबे को अंजाम ना दे सके। ताज होटल वहां से तीन सौ मीटर दूरी पर है। तब तक अंदर व बाहर दूर तक कई लोग जमा थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्कोस कमांडो आ चुके हैं, वे नारे लगाते हुए हमारा उत्साह बढ़ाने लगे। मान लिया जैसे अब कोई खतरा नहीं। उनके चेहरों पर यह चमक देखी तो सुकून मिला। लगा जीवन का लक्ष्य पा लिया।

राशिफल शुक्रवार 26 नवम्बर, 2021



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2078, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 8:26 तक, ब्रह्म योग प्रातः 8:01 तक, विष्टि करण सायं 5:13 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:30 पर सिंह राशि में प्रवेश करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-तुला, बुध-वृश्चिक, गुरु-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज रवियोग रात्रि 8:31 तक है। भद्रा सायं 5:13 तक है। आज संविधान दिवस है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:17 तक, लाभ-अमृत 8:17 से 10:55 तक, शुभ 12:14 से 1:33 तक, चर 4:10 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:54, सूर्यास्त 5:29

मेघ
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्रार्थमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए सफल रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक स